एन.यू.बी.एस.एन.एल.डब्ल्यू (एफ.एन.टी.ओ)

आखिर आप कब तक अन्याय सहेंगे ?

अबकी बार एफ.एन.टी.ओ. को अवसर दें ।

प्रिय साथियों,

आप लोग सभी समझदार हैं 16.04.2013 को एक बार फिर मेम्बर वेरिफिकेशन होने जा रही है। जिस तरह कम्युनिस्ट संघों बी.एस.एन.एल.ई.यू. /एन.एफ.टी.ई. द्वारा विगत वर्षों में कम्पनी तथा कम्पनी के कर्मचारियों को नुकसान पहुँचाया गया है उनको अब सबक सिखाने का समय आ गया है। साथियों, दिनांक 16.04.2013 को जिस दिन वोट पड़ने हैं आप लोग यह निश्चित कर लें कि ज्यादा से ज्यादा संघ अगर काउंसिल में भागीदार होंगे तभी हमारा तथा कम्पनी का भला हो सकता है। अबकी बार लोग सच्चाई को समझ गये हैं और पूरे भारत वर्ष में एफ.एन.टी.ओ. की लहर चल रही है। नये नियमों के अनुसार प्रशासन द्वारा एक यूनियन का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया है।

बी.एस.एन.एल.ई.यू. से आप लाभ की उम्मीद न करें

केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस देने के लिए जब रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गयी तो उसमें केवल पी.एण्ड.टी. सेक्टर की तरफ से सिर्फ एफ.एन.पी.टी.ओ. द्वारा भाग लिया गया था। एन.एफ.टी.ई. (एन.एफ.टी.ई. + बी.एस.एन.एल.ई.यू. + एन.एफ.पी.ओ.) द्वारा इस हड़ताल में भाग नहीं लिया

गया था। हड़ताल में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा एफ.एन.पी.टी.ओ. की मान्यता वापस ले ली गयी थी। इतनी कुर्बानी के बाद मिलने वाले बोनस पर बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा एक घातक समझौता प्रशासन के साथ किया गया कि बोनस पी.एल.आई. के आधार पर न देकर लाभ के आधार पर दिया जाए। नतीजा यह निकला कि बोनस मिलना बन्द हो गया। इसी तरह 2002 में एन.एफ.टी.ई. द्वारा 25 प्रतिशत बोनस सरेंडर कर दिया गया था। आज पोस्टमैन को भी बोनस मिल रहा है। क्या डाक विभाग लाभ की स्थिति में है ?

वेतन संशोधन में 9.4 प्रतिशत का नुकसान

2009 के वेतन संशोधन फार्मूले के अनुसार उस समय का आई.डी.ए. मूल वेतन में जोड़कर उसमें 30 प्रतिशत राशि और जोड़कर नया मूल वेतन बनाना था। इण्डस्ट्रियल प्राईस इंडेक्स के आधार पर पी.एस.यू. के लिए 78.2 प्रतिशत आई.डी.ए. का प्रावधान रखा गया था। इस पर साफ आदेश होने के बाद भी बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा 68.8 प्रतिशत आई.डी.ए. पर प्रशासन के साथ समझौता कर लिया गया। फलस्वरूप प्रत्येक कर्मचारी को रू. 500 से 800 रूपये उनके वेतनमानों के अनुसार नुकसान हुआ। सब मिलाकर लगभग 3500 करोड़ रूपये का बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों का घाटा हुआ।

बी.एस.एन.एल.ई.यू द्वारा यह झांसा दिया गया कि ऑफिसर को भी 68.8 प्रतिशत आई.डी.ए. मिला था। यहाँ इसकी तुलना बेमानी है क्योंकि ऑफिसर्स द्वारा 2007 में इस पर समझौता किया गया था एवं तब आई.डी.ए. 68.8 प्रतिशत था परन्तु बी.एस.एन.एल.यू. द्वारा यह समझौता 2010 में किया था। तब आई.डी.ए. 78.2 प्रतिशत था।

टी.टी.ए. के वेतन से कटौती

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2007 के बाद भर्ती होने वाले नये सीनियर टी.ओ.ए./टी.टी.ए. को 30 प्रतिशत का वेतन निर्धारण में लाभ नहीं दिया गया, बल्कि उनके वेतन से कटौती की गयी। दूसरी तरफ नये भर्ती होने वाले जे.टी.ओ. को 5 अग्रिम वेतन वृद्धि दी गयीं एवं उनके वेतन को कटौती से भी बचा लिया गया। स्नॉटा के साथ गठबन्धन के बाद भी एन.एफ.टी.ई. एवं बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा इस पर कोई न्यायपूर्ण कार्यवही की नहीं करवाई गयी।

बी.एस.एन.एल.ई.यू. की नयी प्रमोशन पॉलिशी - ऊँट के मुँह में जीरा

नयी प्रमोशन पॉलिशी पर समझौता करके बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा समझौता करके कर्मचरियों के साथ विश्वासघात किया गया है। इस स्कीम के द्वारा 40 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गयी। 40 प्रतिशत इस स्कीम का फायदा नहीं ले सके क्योंकि उनकी 2 सी.आर. साधारण लिखी गयीं थी। शेष 20 प्रतिशत को केवल 1 इंक्रीमेन्ट का लाभ प्राप्त हो सका। जहाँ एग्जीक्युटिव को 4 एवं 5 साल में प्रमोशन दी गयी वहीं नॉन एग्जीक्युटिव को 2000 से मार्च 2008 तक लम्बा इन्तजार करने के बाद पहली पदोन्नति तय की गयी एवं दूसरी 8 वर्ष बाद। बी.एस.एन.एल.ई.यू. जिन नॉन एग्जीक्युटिव कर्मचारियों के सहारे विगत वर्षों में राज करती रही है उसका यह दोहरा मापदण्ड घोर निन्दनीय है।

एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों के साथ अन्याय

डी.ओ.टी./बी.एस.एन.एल. में एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को जो आरक्षण प्राप्त हो रहा था एन.ई.पी.पी. लागू होने के बाद उनसे यह लाभ छीन लिया गया। जबकि यू.पी.ए. सरकार की यह पॉलिसी थी कि पी.एस.यू. में भी एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रक्रिया पर विचार विमर्श भी शुरू हो गया था।

वेतन विसंगतियाँ

वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा प्रशासन के साथ एक समझौता किया गया जिसके अनुसार सीनियर कर्मचारियों को जूनियर कर्मचारी के बराबर वेतन करने के लिए एक पी.पी. का लाभ दिया जाना चाहिए जो जूनियर कर्मचारी सीनियर से ज्यादा वेतन ले रहे हैं। इस प्रस्ताव को केरल हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त बी.एस.एन. एल. प्रशासन द्वारा की गयी एस.एल.पी. पर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। बी.एस.एन.एल.ई.यू. की अयोग्यता एक बार फिर कर्मचारियों के सामने आ गयी। आज हम प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि वे न्यायालय के आदेश का पालन तुरन्त करें अन्यथा न्यायालयों के आदेशों की अवमानना होगी। फलस्वरूप हमें सेवा समाप्ति के बाद मूल वेतन, डी.ए., एच.आर.ए. एवं ज्यादा पेंशन राशि में लाभ प्राप्त हो सकेगा।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए गलत पॉलिशी

बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा अनुकम्पा के आधार पर मृतक कर्मचारी पर आश्रितों को सेवा देने के लिए एक कठिन प्रक्रिया (55 पॉईन्ट) पर समझौता

करके मृतक कर्मचारियों पर निर्भर उसके बच्चों की जीविका छीनने का प्रयास किया है। 55 पॉइन्ट फार्मूले के अनुसार केवल एक प्रतिशत कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

एल.टी.सी./चिकित्सा भत्ता वापस लेना

प्रशासन द्वारा एल.टी.सी./चिकित्सा भत्ता को भी वापस ले लिया गया है एव ंबी.एस.एन.एल.ई.यू. इस पर झूठा नाट करती रही।

विभागीय समस्याएँ

सीनियर टी.ओ.ए. के उत्थान के लिए ई.डी.पी. स्केल देना।

सीनियर टी.ओ.ए. को ई.डी.पी. वेतनमान देने के लिए तत्कालीन सीनियर डी.डी.जी. (एस.आर.) जोकि प्रमोशन कमेटी के प्रमुख थे, सीनियर टी.ओ.ए. को ई.डी.पी. वेतनमान देने को राजी हो गये थे। परन्तु एन.एफ.टी.ई द्वारा ई.डी.पी. वेतनमान एक परीक्षा के द्वारा देने के लिए कहा गया। बी.एस.एन.एल.ई.यू. ने ई.डी.पी. वेतनमान देने का विरोध किया। फलस्वरूप एफ.एन.टी.ओ. के अथक प्रयास के बावजूद भी सीनियर टी.ओ.ए. को ई.डी.पी. वेतनमान नहीं मिल सका।

टी.टी.ए. के साथ पूर्ण अन्याय

टैक्नीशियन/टी.टी.ए. को डिप्लोमा इंजीनियर का वेतनमान देने के लिए एन.एफ.टी.ई. एवं उसके शिशु बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा घोर विरोध किया गया था। जबकि 1983 में डी.ओ.टी. द्वारा उनकी मूल योग्यता डिप्लोमा

इंजीनियरिंग कर दी गयी थी। एफ.एन.टी.ओ., टी.टी.ए. के वेतनमानों में संशोधन के लिए हमेशा अडिग था। तदोपरान्त 25 साल की निरन्तर कोशिशों के बाद टी.टी.ए. के वेतनमानों में संशोधन हो सका।

टी.टी.ए. वर्ग को आपस में लड़ाने में बी.एस.एन. एल.ई.यू. एवं एन.एफ.टी.ई. की अहम भूमिका।

टी.टी.ए. वर्ग की प्रगति की देखते हुए बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा सीनियर टी.टी.ए. एवं जूनियर टी.टी.ए. के बीच एक खाई पैदा की गयी। सीधे भर्ती जूनियर टी.टी.ए. द्वारा सीनियर टी.टी.ए. के खिलाफ कोर्ट में केस डाला गया कि जूनियर टी.टी.ए. को भी ऑफिसिएटिंग जे.टी.ओ. बनाया जाए। एन.एफ.टी.ई. नेतागणों ने भी परीक्षा द्वारा योग्य टी.टी.ए. से जे.टी.ओ. बनाने का विरोध किया। इसके उपरान्त प्रशासन द्वारा टी.टी.ए. से जे.टी.ओ. के प्रावधान को विगत 12 सालों से टाले रखा था।

आज हर्ष का विषय है कि एफ.एन.टी.ओ. के अथक प्रयासों एवं सी.एम.डी. तथा माननीय संचार मंत्री को विश्वास में लेकर टी.टी.ए. से जे.टी.ओ. के लिए जून 2013 में परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

टेलीफोन मैकेनिक के साथ भेदभाव ।

फोन मैकेनिक वर्ग के लिए बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा अब तक कुछ भी फायदा नहीं करवाया गया है एवं टेलीफोन मैकेनिक से टीटी.ए. के प्रमोशन के लिए कोई भी नियमावली जैसे शैक्षिक योग्यता (12 एस.टी.डी.) पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। जबकि हजारों रिक्त स्थान पड़े हैं। एफ.एन.टी.ओ.

की माँग है कि 10वीं क्लास तक के स्तर के टेलीफोन मैकेनिक को ट्रे टेस्ट दिलवाकर उनको प्रमोट किया जाए।

रेग्युलर मजदूरों का कोई प्रमोशन नहीं

एफ.एन.टी.ओ. के अथक प्रयासों का फल था कि लगभग 40,000 हजार मजदूर उस समय नियमित किये गये थे परन्तु आज घोर विडम्बना है कि बी.एस.एन.एल.ई.यू. न तो टेलीफोन मैकेनिक को टी.टी.ए. बनवा पा रही है और न ही कैजुअल मजदूर को टेलीफोन मैकेनिक के लिए योग्य करवा सकी है। बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा रेग्युलर मजदूर की हमेशा अनदेखी की गयी है जबकि हजारो खाली स्थान प्रमोशन के लिए पड़े हैं।

विनिवेशीकरण/निजीकरण/अनिवार्य सेवा समाप्ति पॉलिशी रोकने के लिए एफ.एन.टी.ओ. हमेशा प्रतिबद्ध है।

आपका शुभेच्छु,

दीपक

के. थॉमस जॉन
अध्यक्ष

दिनांक 16.04.2013

बैलट नं. 16

एफ.एन.टी.ओ. की उपलब्धियाँ

एफ.एन.टी.ओ. द्वारा 2.20 लाख कर्मचारियों का पुनर्गठन करने के लिए एक योजना का आवाहन किया था उसके अनुसार या तो कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करना था या उन्हें इन्क्रीमेन्ट देने का प्रस्ताव था। इससे सभी कर्मचारी लाभप्रद होते। एन.एफ.टी.ई. द्वारा 1990 से 1994 तक इस योजना पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा भी इसका विरोध किया गया।

यह एफ.एन.टी.ओ. की ही देन है कि तीन दिन की हड़ताल के बाद अपने कर्मचारियों को सरकारी पेंशन का लाभ दिलवा सका। जो आज भी मिल रहा है। बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा इस हड़ताल का विरोध किया गया था।

एफ.एन.टी.ओ. द्वारा 40,000 कैजुअल मजदूरों को रेग्युलर कराया था जोकि उपुर्यक्त हड़ताल का ही फल था। इस हड़ताल के द्वारा एफ.एन.टी.ओ. सेवा सुरक्षा का आश्वासन भी प्रशासन ने ले लिया गया था।

सिविल/विद्युत कर्मचारियों के उत्थान के लिए एफ.एन.टी.ओ. हमेशा अग्रसर है।

एफ.एन.टी.ओ. द्वारा 40 प्रतिशत टेलीफोन मैकेनिक को टी.टी.ए. के पद के लिए प्रमोट करवाया गया।

एफ.एन.टी.ओ. द्वारा सीनियर टी.ओ.ए. के लिए ई.डी.पी. पे स्केल देने के लिए प्रशासन को तैयार कर लिया गया था, परन्तु एन.एफ.टी.ई./बी.एस.एन.एल.ई.यू. ने इसको लागू नहीं होने दिया।

एफ.एन.टी.ओ. द्वारा टैक्नीशियन/टी.टी.ए. की योग्यता के लिए 1983 से ही कम से कम डिप्लोमा इंजीनियर योग्यता का समर्थन किया था।

एफ.एन.टी.ओ. द्वारा टी.टी.ए. को डिप्लोमा इंजीनियर का वेतनमान देने का समर्थन किया। जबकि 25 साल से एन.एफ.टी.ई./बी.एस.एन.एल.ई.यू. इसका विरोध करते रहे हैं।

- सीनियर टी.ओ.ए. से जे.ए.ओ. के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना।
- टी.टी.ए. से जे.टी.ओ. के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना।

जिस काम को बी.एस.एन.एल.ई.यू. नहीं करवा सकी, एफ.एन.टी.ओ. द्वारा टी.टी.ए. से जे.टी.ओ. के लिए परीक्षा में बैठने के लिए 10 से 7 साल सेवा का प्रावधान करवाया ।

साथियों, जरा सोचो कि जिस मान्यता प्राप्त यूनियन बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा आपका बोनस, 9.4 प्रतिशत आई.डी.ए., अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, चिकित्सा भत्ता आदि को समाप्त करवा दिया गया हो, उनको आप कैसे अपना मत दे सकते हैं।

बी.एस.एन.एल.ई.यू./एन.एफ.टी.ई. दोनों की गलत नीतियों के लिए आने वाले चुनाव में सबक सिखायें तथा अपने उज्जवल भविष्य के लिए एफ.एन.टी.ओ. को भारी बहुमत से विजयी बनायें।

आपका शुभेच्छु,

दीपक

के. थॉमस जॉन
अध्यक्ष

दिनांक 16.04.2013

बैलट नं. 16